

## Mandatory Public Disclosure

### A. GENERAL INFORMATION

SL NO.	INFORMATION	DETAILS
1	NAME OF THE SCHOOL	ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL
2	AFFILIATION NO(IF APPLICABLE)	2130250
3	SCHOOL CODE (IF APPLICABLE)	60114
4	COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE	GHATIA AZAM KHAN,WAZIRPURA,AGRA 282003
5	PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION	SR.ABHA (MEREENA PULLOKARAN DAVIS)(M.A,B.ED)
6	SCHOOL EMAIL ID	St.francis@dataone.in
7	CONTACT DETAILS(LANDLINE/MOBILE)	8791077004, 0562-2857530

### B. DOCUMENTS AND INFORMATION

SL NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	COPIES OF AFFLIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY	<u>YES</u>
2	COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE AS APPLICABLE	<u>YES</u>
3	COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED IF APPLICABLE BY THE STATE GOVT	<u>YES</u>
4	COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE AS PER THE BUILDING CODE	<u>YES</u>
5	COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE	<u>YES</u>
6	COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY	<u>YES</u>
7	COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL	
8	COPIES OF VALID WATER,HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES	<u>YES</u>

**NOTE:** THE SCHOOL NEEDS TO UPLOAD THE SELF ATTESTED COPIES OF ABOVE LISTED DOCUMENTS BY CHAIRMAN/MANAGER/SECRETARY AND PRINCIPAL IN CASE IT IS NOTICED AT LATER STAGE THAT UPLOADED DOCUMENT ARE NOT GENUINE THEN SCHOOL SHALL BE LIABLE FOR ACTION AS PER NORMS

S.NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL	YES
2	ANNUAL ACADEMIC CALANDER	YES
3	LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)	
4	LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA MEMBERS)	
5	LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLITY	YES

**C. RESULT AND ACADEMICS**

**RESULT CLASS : X**

S.NO.	YEAR	NO.OF REGISTERED STUDENTS	NO.OF STUDENTS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1	2018	163	161	98.77	2 COMPARTMENT
2	2019	157	157	100	
3	2020	161	160	99.38	1 COMPARTMENT

**D STAFF(TEACHING)**

S.NO.	INFORMATION	DETAILS
1	PRINCIPAL	01
2	TOTAL NO. OF TEACHERS	
	PGT	
	TGT	28
	PRT	21
3	TEACHERS SECTION RATIO	

	<b>DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR</b>	<b>NO</b>
	<b>DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER</b>	<b>MRS.SHIKHA MASIH DIPLOMA IN NURSHING</b>

**E SCHOOL INFRASTRUCTURE**

<b>S.NO.</b>	<b>INFORMATION</b>	<b>DETAILS</b>
1	TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL(IN SQUIRE MTR)	8892 Sq MTR
2	NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS(IN SQ MTR)	38, (154962 Sq Mt)
3	NO AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS(IN SQMTR)	7 (288.07 Sq Mt)
4	INTERNET FCILITY (Y/N)	YES
5	NO. OF GIRLS TOILETS	19
6	NO. OF BOYS TOILETS	16
7	LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL	

## MEMBERS OF MANAGING COMMITTEE 2021 -2022

s.no.	Names	Father's / Spouse name	Designation	Occupation with address	Residential Address	Phone off	Phone residence
1	SR. JOYCE	MR. GEORGE	CHAIR PERSON	PROVINCIAL SUPERIOR, CLARA NIWAS , KALU SARAI, NEW DELHI-16	CLARA NIWAS, KALU SARAI, NEW DELHI - 16	01126517325	01126517325
2.	SR. GEMMA	Mr. Easthapan	MANAGER	-	ST. FRANCIS' CONVENT , GHATIA AZAM KHAN, AGRA	0562-	0562-2525591
3	SR. MATILDA	MR. GEORGE	VICE CHAIR PERSON	PRINCIPAL ST. ANTHONY'S SR. SEC. SCHOOL, HAUZKHAS, DELHI - 16	ST. ANTHONY'S CONVENT, HAUZKHAS, DELHI - 16	01126514779	01126514779
4	SR. ABHA	MR. P. A. Davis	SECRETARY	PRINCIPAL, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	ST. FRANCIS' CONVENT , GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	8791077004	0562-2850822
5	SR. SHEIJA	MR. MANUVEL	TREASURER	ACCOUNTANT, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	ST. FRANCIS' CONVENT , GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	8791077004	0562-2850822
6	SR. ANTONIA LAKARA	MR. POLYCORP LAKRA	MEMBER	PRINCIPAL, ST. VINCENT'S GIRLS SCHOOL, AGRA	ST. FRANCIS' CONVENT, GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	0562-2852862	0562-2850822
7	SR. AMBIKA	Mr. Isacc	MEMBER	COUNSELLOR, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, SIKANDRA	ST. FRANCIS CONVENT, UPSIDC ROAD, SIKANDRA, AGRA	0562-6444409	0562-6444409
8	Mr. Sudhakaran P.V	Mr. A.C. Govindam Nambair	BOARD NOMINEE	PRINCIPAL, K.V. NO. II, AKBAR ROAD, AGRA CANTT.	9745565469	0562-2227328	



9	Ms. Ambika Roshan	MR. Roshan	BOARD NOMINEE	PRINCIPAL, AIR FORCE SCHOOL, AIR FORCE STATION, AGRA	9760493683	0562-2302173	2303860
10	MRS. ASHA JAIN	Mr. C. M. Jain	TEACHER REPRESENTATIVE	TEACHER, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	DREW KOTHI, ST. JOHN'S COLLEGE CAMPUS, HARI PARVAT, AGRA	0562-6547004	9319264442
11	MRS. RAHILA ALI	Mr. Syed Azam Ali	TEACHER REPRESENTATIVE	TEACHER, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	3/104, Chowk Kazian, Taj Ganj, Near Taj Mahal, Agra	0562-6547004	8979583804
12	FR. SAJI PALAMATTOM	MR. ANTONY PALAMATTOM	MEMBER	PRINCIPAL ST. PAUL'S HIGH SCHOOL, AGRA	ST. PETER'S, AGRA		9837004452
13	SR. ZITA CUTINHA	MR. CYRIL CUTINHA	EDUCATIONIST	PRINCIPAL, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, SIKANDRA	ST. FRANCIS' CONVENT, UPSIDC ROAD, SIKANDRA, AGRA	0562-6444409	0562-644409
14	MRS. KIRTI PANDEY	S.K. PATHAK	PARENTS REPRESENTATIVE	6D/818, AVAS VIKAS COLONY, AGRA	6D/818, AVAS VIKAS COLONY, AGRA	9639811978	
15	MR. SUNIL MASIH	MR. PREM MASIH	PARENTS REPRESENTATIVE	LAB TECHNICIAN, C-207, TRANS YAMUNA COLONY, FIROZABAD ROAD, AGRA	A-6/372, KAMLA NAGAR, AGRA	9412542811	8650944123



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
Central Board of Secondary Education  
संबंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0  
As per new Affiliation Bye-Laws



Contact Us

Grant Letter for:-EX-01765-1819

NO : CBSE/AFF/2130250 /EX-01765-1819/2018-19/

Dated: 05/10/2020

The Manager,  
st. francis convent school  
wazirpura road agra uttar pradesh  
UTTAR PRADESH,AGRA , 282003  
(M: 2857530, 2525591,357530)

**Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding**  
**Ref: Application No. EX-01765-1819**

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

**Affiliation No :** 2130250  
**Affiliated for :** Secondary  
**Category :** Extension of General Affiliation  
**Period of Extension of :** 01.04.2018 to 31.03.2023

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining loan/renewal of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

1. The school will follow the **RTE Act, 2009** and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
2. The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws, 2018.
3. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer
4. The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.

This site is Designed and Developed by IT & Project Department CBSE.



purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.

The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.

**Admission to the school** is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 & other relevant rules of Affiliation bye laws.

The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.

The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws.

The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances.

The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc

The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website: [www.cbse.nic.in](http://www.cbse.nic.in)

The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.

Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.

Running of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters.

The Manger and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/ information/data submitted by the School to the Board.

Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead to action against school as per clause 12 of Affiliation Bye-laws-2018.

The genuineness of information / documents / data submitted shall be of school and in case, if found otherwise the school shall invite action as per affiliation Bye laws-2018

The school shall be responsible for submission of any pending compliance, reply of show case /legal notice/ complaint and for submission of date/information sought by the Board. The extension of 05 years shall be from the date of cessation of previous validity of extension of affiliation

The school is required to remit pending fee, if any

The extension of affiliation is being granted as one time measure. However, the cases where the Show Cause Notice was communicated or grievance / legal cases are pending against the school, the Board will take appropriate decision in this matter

The school shall renew all mandatory safety certificate i.e Safe Drinking Water & Health and Hygiene certificate. Fire Safety

2020

cbseaff.nic.in/cbse\_aff/school/SchoolLetviw.aspx

23. The school shall also maintain record of certificate, compliances, data and other records/information and shall be fully responsible to produce all such records before Board and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be liable for action by the appropriate Govt., in case of violation / non-compliance of the concerned Govt. norms
24. The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

**Deputy Secretary / Joint Secretary(Affiliation)**

**This is a computer-generated document. No signature is required.**

*Dr. Gemma*  
Manager  
**St. Francis' Convent School**  
A-14A 282003

*J. Abher*  
Principal  
**St. Francis Convent School**  
Ghatia / z-m Khan,



नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक... 133464

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 5068

दिनांक 20-12-18



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र  
( अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन )

नवीकरण संख्या 2051 पत्रावली संख्या एजी-14799 दिनांक 1993-1994

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सेंट फ्रांसिस शैक्षिक

संस्था, पता-सेंट फ्रांसिस कान्वेन्ट स्कूल, बजीरपुरा रोड आगरा। को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 939/1993-94 दिनांक 21-10-1993 को दिनांक

21-10-2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1150 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 06-12-2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार  
श्रीउत्तर प्रदेश

H. Gumber  
Manager

St. Francis' Convent School  
AGRA-282003

J. Abha  
Principal  
St. Francis Convent School  
Ghatia / Zam Khan,  
AGRA-282003

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सो० फर्म एव चिट्ठा-21-11-2014-(1374)-2.00.000 प्रतियां-(क०/टी०/आफरोट।)





भारत में लिये जायेंगे ।

- 161 कर्मचारियों को सेवा शर्तें धारणी जायेगी और उन्हें तदावका प्राप्त आतामतीय उच्चतर माध्यामिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा तम्य तम्य पर जो भी आदेश निर्देश लिये जायेंगे तंत्रा उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिजार्ड निर्यातरित प्रपत्र/ पंक्तिओं में रखा जायेगा ।
- 191 उका शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन या परिवर्तन नहीं लिया जायेगा ।

2- उक्त प्रवृत्तियों का पालन करना तंत्रा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तम्य यह पाया जाता है कि तंत्रा द्वारा उक्त प्रवृत्तियों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार का पूर या विभिनता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुदतत आपरित प्रमण- पर वापस ले लया जायेगा ।

भावदीय,

। आरि गौरी  
उप तपि ।

पू. सं- 127711/15-7-94 तद्विनि

प्रतिनिधि निम्नलिखित को दुकाओं से आवश्यक कार्यादी हू

प्रेषित:-

- 1- विद्या निदेश, उ.प्र., गजान्त । अ.ग.।
- 2- मैत्रीय उप विद्या निदेश, तद्विनि सं., अकरा
- 3- जिना विद्यालय निदेश, अकरा ।
- 4- निदेश, अंग भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, गजान्त ।
- 5- प्रका, सेंट जॉनिस स्कूल पजीरपुर रोड, अकरा ।

अता है,  
। आरि गौरी  
उप तपि ।

J. Akher  
Principal

St. Francis Convent School  
Ghalla / Zam Khan,  
AGRA-282003

Dr. gemma  
Manager

St. Francis' Convent School  
AGRA-282003



प्रेषक,

सहायक अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
प्रखण्ड-आगरा।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
आगरा।

पत्रांक 336/ग्रा0अ0वि0/एन0बी0सी0-2005/2020-21 दिनांक-13.3.2021


विषय:- प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-7481-83/ 2020-21/दिनांक-30.09.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में क्रम संख्या-1 एवं 2 पर स्थित सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल, घटिया आजम खों, वजीरपुरा, आगरा का एन0बी0सी0-2005 प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
सहायक अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
प्रखण्ड-आगरा

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल घटिया आजम खों आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।



Manager

St. Francis' Convent School  
AGRA-282003

सहायक अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
प्रखण्ड-आगरा

  
Principal

St. Francis Convent School  
Ghatia Azam Khan,  
AGRA-282003

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक/मान्यता/अं0मा0/प्राइमरी/50423-36/2020-21 दिनांक 27-03-2021

सेवा में,

प्रबन्धक,  
सेंट फॉसिस कॉन्वेंट स्कूल,  
घटिया आजम खाँ, वजीरपुरा-आगरा ।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम का मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 27.08.2020 के आवेदन-सेंट फॉसिस कॉन्वेंट स्कूल, घटिया आजम खाँ, वजीरपुरा-आगरा (विद्यालय का नाम, पते सहित) को दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्राइमरी स्तर कक्षा-01 से 05 तक के लिए अनंतिम (औपबन्धिक) मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा ।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

१७



- 1- प्रवेश नदिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- 2- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
- 3- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- 4- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- 5- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- 6- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- 7- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करत हैं: और
- 8- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-
  - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 6717.00 वर्ग मीटर
  - कुल निर्मित क्षेत्र - 4258.00 वर्ग मीटर
  - कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - हॉ
  - कक्षाओं की संख्या - 05
  - प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भांडागार के लिए कक्ष-03
  - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-04-04
  - पेयजल सुविधा - हॉ, समर सेबिल द्वारा
  - मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई- हॉ
  - बाधारहित पहुंच - हॉ, डामर रोड
- अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूदउपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता-हॉ
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।



13- विद्यालय के लेखों की किसी चार्टर्ड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (50423-36) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और संमुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17- प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा-कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी । यदि कक्षा-कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेंगे तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।

18- विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डायस+ से संबंधित सूचनायें/आकड़े भरना अनिवार्य होगा।

19- संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

( राजीव कुमार यादव )  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
आगरा ।

पृ0सं0 / मान्यता / अं0मा0 / प्राइमरी / — / 2020-21 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नोक्त की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज-लखनऊ ।
- 2-सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
- 3-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 4-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा ।
- 5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ।
- 6-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, आगरा ।
- 7-कार्यालय गार्ड फाइल हेतु ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
आगरा ।

Dr. Gemma

Manager

St. Francis' Convent School  
AGRA-282003

Principal

St. Francis Convent School  
Ghatia Azim Khan,  
AGRA-282003



कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक/मान्यता/जू0हा0स्कूल अं0मा0/50753-60

/2020-21

दिनांक 31/3/2021

सेवा में,

प्रबन्धक,

सेन्ट फॉसिंस कॉन्वेंट स्कूल,

घटिया आजम खों, वजीरपुरा, आगरा।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम का मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 31.08.2020 के आवेदन-सेंट फॉसिंस कॉन्वेंट स्कूल, घटिया आजम खों, वजीरपुरा, जनपद-आगरा (विद्यालय का नाम, पते सहित) को दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए जूनियर हाई स्कूल स्तर कक्षा-06 से 08 तक के लिए अनंतिम (औपबन्धिक) मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और इसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा ।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

Dr

h



- 1- प्रवेश दिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- 2- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
- 3- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- 4- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- 5- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- 6- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- 7- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करत हैं और
- 8- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-  
 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-6717.00 वर्ग मीटर  
 कुल निर्मित क्षेत्र -4258.00 वर्ग मीटर  
 क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल -हॉ  
 कक्षाओं की संख्या-04  
 प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भ्रांडागार के लिए कक्ष-03  
 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-03-03  
 पेयजल सुविधा - हॉ, समर सेबिल द्वारा  
 मिड-डे-मील पकाने/के लिए रसोई- हॉ  
 बाधारहित पहुँच - हॉ, डामर रोड  
 अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूदउपकरणों/ पुस्तकालय की उपलब्धता-हॉ
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।



13- विद्यालय के लेखों की किसी चार्टर्ड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (50753-60) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17- प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा-कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी । यदि कक्षा-कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेंगे तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।

18- संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

( राजीव कुमार यादव )

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

आगरा

पू0सं0/मान्यता/जू0हा0स्कूल अं0मा0/ — /2020-21 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नोक्त की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज-लखनऊ ।

2-सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ।

3-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 प्रयागराज ।

4-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा ।

5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ।

6-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

7-कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
आगरा

Dr. Genuine  
Manager

St. Francis' Convent School  
AGRA-282003

J. Akhu  
Principal

St. Francis Convent School  
Ghatia Azam Khan,  
AGRA-282003

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल घटिया आजम  
खां बजीरपुरा, आगरा का निरीक्षण आज दिनांक-10.03.2021 को श्री संजीप कुमार  
वर्मा सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया। भवन दो मंजिला निर्मित है तथा देखने  
में सुदृढ़ तथा सुरक्षित प्रतीत होता है एवं विद्यालय भवन में नेशनल बिल्डिंग  
कोड-2005 के अनुरूप प्राविधान किये गये हैं।

*S. D. Sharma*  
सहायक अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
प्रखण्ड-आगरा

*S. D. Sharma*  
Manager  
St. Francis' Convent School  
AGRA-282003

*S. D. Sharma*  
Principal  
St. Francis Convent School  
Ghatia 12 m Khan,  
AGRA-282003



कार्यालय मुख्य अग्निशमन  
पत्रांक:सीएफओ-मिस0/19(एनओसी प्रक्रिया)  
सेवा में,

अधिकारी, आगरा।  
दिनांक:अप्रैल 22, 2019

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
जनपद-आगरा।

विषय:- जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक:12.04.2009 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक:15934-35/2018-19 दिनांक:21.02.2019

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो निम्न विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूल मान्यताओं की पत्रावलियों मान्यता हेतु उपलब्ध करायी गयी है जिस पर मान्यता समिति द्वारा निर्णय लिये जाने हेतु फायर सर्विस की निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पत्र के क्रमांक नं0-07 पर अंकित सेन्ट फ्रांसिस कान्वेन्ट स्कूल, घटिया आजम खॉं, आगरा की एन0ओ0सी0 यू0आई0डी0 नं0-2018/47753 /एजीए/आगरा/1418/जेडी दिनांक:11.07.2018 द्वारा 03 वर्ष हेतु जारी की जा चुकी है संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(अक्षय शर्मा)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
जिला आगरा।

Dr. Ganme  
Manager  
St. Francis' Convent School  
AGRA-282003

Dr. Abhin  
Principal  
St. Francis Convent School  
Ghatia Azam Khan,  
AGRA-282003

कार्यालय मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम आगरा

संख्या:- 147/D/14751/19

दिनांक:- 08-2-19

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

क्षेत्रीय स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक सेनेटरी वार्ड हरीपर्वत-1, नगर निगम आगरा की स्थलीय निरीक्षण/रिपोर्ट दिनांक 20.01.2019 के आधार पर सेंट फ्रांसिस कान्वेंट स्कूल, घटिया आजम खाँ, आगरा में शौचालय/स्कूल परिसर में सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल पायी गयी।

*[Handwritten Signature]*  
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर निगम आगरा

*[Handwritten Signature]*

Manager

St. Francis' Convent School  
AGRA-282003

*[Handwritten Signature]*  
Principal

St. Francis Convent School  
Ghatia Azam Khan,  
AGRA-282003



**FEE SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2021 -2022  
ST FRANCIS PRE PRIMARY SCHOOL, AGRA**

<b>Class</b>	<b>Particulars</b>	<b>April – June 2021</b>	<b>July – September 2021</b>	<b>October - December 2021</b>	<b>January – March 2022</b>
LKG	Tuition Fee(Composite) Admission Fee	7920 30,000	6480	7200	7200
UKG	Tuition Fee(Composite)	7770	6630	7200	7200

**FEE SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2021 -2022  
ST FRANCIS CONVENT SCHOOL, AGRA**

<b>Class</b>	<b>Particulars</b>	<b>April – June 2021</b>	<b>July – September 2021</b>	<b>October - December 2021</b>	<b>January – March 2022</b>
I	Tuition Fee(Composite)	13655	7395	8025	8025
II - V	Tuition Fee(Composite)	8655	7395	8025	8025
V I - VIII	Tuition Fee(Composite)	9225	7875	8550	8550

IX	Tuition Fee(Composite)	9990	8520	9255	9255
X	Tuition Fee(Composite)	9810	8370	9090	9090

Dear Parents,

You are requested to kindly pay the school Fee **either monthly or quarterly, either online or by depositing cheque in favour of St. Francis Convent School, Agra ( classes I - X), St. Francis Pre Primary School, Agra (classes L.K.G, U.K.G) in the federal bank or in the school.**

1. For online payment, log on to [www.stfrancisagra.in](http://www.stfrancisagra.in) using your Login ID and Password or online fee payment. Once you login you will find parents area – Fee Management – Online fee Payment – select student- select account type, ie, **school**(for classes 1 – X) **primary school**(for LKG & UKG)then select **monthly** or **quarterly** for payment.

2. If you deposit in bank/ school, then write the student's name, class, father's name and mobile number at the back of the cheque.

Thank you for your kind cooperation and support.

Principal